

कार्यालय                      निदेशक                      सैकेण्डरी                      शिक्षा                      हरियाणा                      चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/144-2002-बि-T12।

दिनांक, चण्डीगढ़ 23-1-03

स्वामी विवेकानन्द पब्लिक स्कूल कैम्प यमुनानगर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार नई दिल्ली से शैक्षणिक वर्ष 2002-03 के विद्ये मैट्रिक स्तर तक की सम्बद्धता देने हेतु अस्थाई अनामरित प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान किया जाता है:-

1. इस विद्यालय की भूमि/पुस्तक कमेटी के विरुद्ध कोर्ट केस/शिकायत लम्बित ना हो
2. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 तथा इसके तहत बनाये जा रहे नियमों के अनुसार हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करनी होगी ।
3. हरियाणा एजुकेशन एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे, वह विद्यालय को मान्य होंगे ।
4. हरियाणा शिक्षा विभाग से निर्देश/हिदायतों की पालना करनी होगी ।

सुरीना राजन

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

पृ० क्रमांक-सम

दिनांक: 30-1-03

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके पत्र क्रमांक जी-2/02/6117 दिनांक 19.8.02 के संदर्भ में ।
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार नई दिल्ली ।
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्राचार्य ।

उप निदेशक विद्यालय-1

हो: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

अनमोल।

29.1.03